# ग्राम पंचायत, काँटी मशवा, विकास खण्ड पांवटा साहिब ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

## भाग-I

**1 (क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, काँटी मशवा, विकास खण्ड पांवटा साहिब, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। **अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे;**

**प्रधान:-**

| क्रमांक | प्रधान का नाम | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमति विद्या देवी | 23.01.2011 से 22.01.2016 तक |
| 2 | श्रीमति दुर्गा देवी | 23.01.2016 से निरन्तर |

**सचिव:-**

| क्रमांक | सचिव का नाम | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1. | श्री सुखदर्शन सिंह | 01.04.2009 से 31.03.2015 तक |
| 2. | श्री रमेश कुमार | 01.04.2015 से निरन्तर |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-** ग्राम पंचायत, काँटी मशवा के लेखों का अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:

| क्रम सं0 | पैरा संख्या | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के परिणामस्वरूप अन्तशेषो में भारी अन्तर | 1.17 |
| 2 | 7 | अनुदान की राशि का उपयोग न करना | 25.38 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 8 | औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/स्टॉक का क्रय | 1.90 |
| 4 | 10 | शटरिंग के बिल पर देय राशि से अधिक भुगतान | 0.09 |

## भाग –दो

## 2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत काँटी मशवा, विकास खण्ड पांवटा साहिब, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक **26.12.2017 से 01.01.2018** को ग्राम पंचायत काँटी मशवा के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है

| वर्ष | आय माह | व्यय माह |
|---|---|---|
| 2014-15 | 04/2014 | 12/2014 |
| 2015-16 | 05/2015 | 09/2015 |
| 2016-17 | 06/2016 | 04/2016 |

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

## 3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत काँटी मशवा, विकास खण्ड पांवटा साहिब, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जी.पी.(आडिट)/पांवटा साहिब/2017-18-17 दिनांक 01.01.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत काँटी मशवा से अनुरोध किया गया है।

## 4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत काँटी मशवा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

**i) स्व स्त्रोत:-** ग्राम पंचायत काँटी मशवा की अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की वित्तीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट–1 के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

| वर्ष | अथ शेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | -------- | 44861.00 | 44861.00 | 2250.00 | 42611.00 |
| 2015-16 | 42611.00 | 51351.00 | 93962.00 | 17693.00 | 76269.00 |
| 2016-17 | 76269.00 | 68598.80 | 144867.80 | 54273.00 | 90594.80 |

**नोट:- (i)** सचिव ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारंभिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका है, जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता-"क" में रखे जाने का प्रावधान है। अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**ii) अनुदान:-** ग्राम पंचायत काँटी मशवा के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण परिशिष्ट–2 के अनुसार निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **{परिशिष्ट-2}** मे भी दिया गया है।

| वर्ष | अथ शेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्त शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 1186299.00 | 3243649.00 | 4429948.00 | 3103174.00 | 1326774.00 |
| 2015-16 | 1326774.00 | 2202920.00 | 3529694.00 | 2232230.00 | 1297464.00 |
| 2016-17 | 1297464.00 | 4720330.00 | 6017794.00 | 3480097.00 | 2537697.00 |

**नोट :-** रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है। अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/14 के प्रारम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/14 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है।

## 5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के परिणामस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹1.17 लाख का अन्तर :-

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया की पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते ) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अंतशेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार ₹116823 का अन्तर है जिसका मिलान किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

| क्रमांक | विवरण | राशि (₹) | परिशिष्ट |
|---|---|---|---|
| 1. | स्व: स्त्रोत | 90594.80 | 1 |
| 2. | अनुदान | 2537697.00 | 2 |
| 3. | समेकित वितीय स्थिति के अनुसार शेष | 2628291.80 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | विभिन्न बैंकों में जमा राशि | 2745114.80 | 4 |
| 5. | **अन्तर** | **116823.00** | |

**विभिन्न बचत बैंक खातों में 31.03.2017 को जमा राशि का ब्यौरा**

| क्रमांक | अनुदान | बैंक का नाम | बचत खाता संख्या | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सामान्य निधि | HPSCB, Sataun | 56710103276 | 1495886.80 |
| | भू.राजस्व | HPSCB, Kamrau | 57010101031 | 11353.00 |
| 2. | BRGF | -----do------ | 56710103690 | 21233.00 |
| 3. | MANREGA | -----do------ | 56710103264 | ---------- |
| 4. | IAY | -----do------ | 56710103277 | 136698.00 |
| 5. | RGAY | -----do------ | 56710103353 | 51985.00 |
| 8. | 14th FC | -----do------ | 56710107704 | 1027776.00 |
| | **बचत बैंक खातों में जमा कुल राशि** | | | **₹2744931.80** |
| | हस्तगत शेष (सामान्य निधि) | | | **183.00** |
| | **31.03.2017 को कुल शेष राशि** | | | **₹2745114.80** |

## 6 पंचायत राजस्व ₹0.16 लाख वसूली हेतु शेष:-

### (i) गृहकर ₹0.14 लाख वसूली हेतु शेष:-

सचिव ग्राम पंचायत काँटी मशवा द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.ऑडिट/पांवटा साहिब/काँटी मशवा/2017-18-3 दिनांक 2 6/12/2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक:KM/2017-18-05 दिनांक 0 1/01/2018 द्वारा गृहकर की शेष वसूली के बारे में जो सूचना प्रदान की गई परिशिष्ट–6 के अनुसार दिनांक 31/03/2017 को गृहकर की वसूली योग्य **₹14,120** शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है । अतः उक्त राशि की शीघ्र-अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| वर्ष | कुल परिवार | वार्षिक दर | कुल कर | प्राप्त राशि | शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 310 | 20/- | 6200/- | ------ | 6200/- |
| 2015-16 | 313 | 20/- | 6260/- | 4600/- | 1660/- |
| 2016-17 | 313 | 20/- | 6260/- | ------ | 6260/- |
| **गृहकर की वसूली योग्य राशि** | | | **18720/-** | **4600/-** | **14120/-** |

### (ii) मोबाइल टावर फीस की ₹2,000 वसूली हेतु शेष:-

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त पत्र के क्रमांक: 3 पर दर्शायी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2017 को पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थापित **वोडा फोन कम्पनी** के मोबाइल टावर की सम्बन्धित मोबाइल कम्पनी से **₹2,000** नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूली योग्य शेष बनती है। अतः उक्त राशी को सम्बन्धित कम्पनी से वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण दौरान अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा आय की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एवं संग्रह रजिस्टर"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में गृहकर शुल्क तथा अन्य शुल्कों से पंचायत को प्राप्त होने वाली आय का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका। अतः भविष्य में **"मांग एवं संग्रह रजिस्टर"** का संधारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 7 अनुदान की ₹25.38 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक प्राप्त अनुदानों से **₹25,37,697** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये।

## 8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.90 लाख के स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार **₹1000**. से अधिक तथा **₹50,000** से कम राशि के क्रय हेतु **निविदाएँ (Quotations)** आमंत्रित किया जाना तथा **₹50,000** से अधिक राशि के क्रय हेतु **टेंडर्स आमंत्रित(Tenders)** किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके| परन्तु ग्राम पंचायत ने परिशिष्ट–7 में दिए गए विवरणानुसार ₹190430 के स्टॉक/स्टोर का क्रय कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही किया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उक्त क्रय को नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

## 9 क्रय स्टोर/स्टॉक की प्रविष्टियां न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है । परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है जोकि नियमनुसार अपेक्षित थी। अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई कुछ मदें

जिन्हें स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था का ब्यौरा संलग्न **(परिशिष्ट- 7)** में दिया गया है।

अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए क्रय की गई प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

## 10 महिला मंडल भवन, पिपोली के निर्माण कार्य में शटरिंग के किराये के रूप में ₹0.09 लाख का अधिक भुगतानः-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु श्री कल्याण सिंह/चानन सिंह को उनके द्वारा जारी कच्ची रसीद पर सामान्य निधि की रोकड़ बही के पृष्ट संख्या 76 पर चेक संख्या 596678 द्वारा शटरिंग के किराए के लिए **₹51,350** का भुगतान किया गया है, जबकि निम्न तालिकानुसार उक्त कार्य के लिए **₹42330** देय बनता था। इस प्रकार शटरिंग किराये की गलत गणना करने तथा पंचायत सचिव द्वारा भुगतान करने पूर्व उसकी जाँच न करने के कारण **₹9,020 {51350-42330}** का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिस बारे जाँच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा करके तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

| शटरिंग का विवरण | संख्या | किराया/ प्रतिदिन | दिन | किराया | ढुलान दर | ढुलान किराया | कुल किराया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)2x3x4 | (6) | (7) 2x6 | (8) 5+7 |
| फट्टे | 1000 | 0.20 | 30 | 6000 | 2/- | 2000/- | 8000/- |
| स्पोट्स | 490 | 0.50 | 30 | 7350 | 2/- | 980/- | 8330/- |
| एंगल्स | 200 | 3/- | 30 | 18000 | 40/- | 8000/- | 26000/- |
| | **Total** | | | **31350** | | **10980** | **42330/-** |

## 11 बजट प्राक्कलन निर्धारित फार्म पर तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

## 12 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितता बारेः-

**(क)** अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा रसीद बुकों से सम्बन्धित **रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर** का रख रखाव नहीं किया गया है जिससे ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त/ तथा उनके नियमित उपयोग के पश्चात् स्टॉक में शेष बची रसीद बुक्स का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका। अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख पुर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए।

**(ख)** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, उन पर की गई कटटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए।

## 13 अंकेक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण अवधि में पंचायत को स्वः स्त्रोत तथा अनुदानों से प्राप्त आय से सम्बन्धित रसीदें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण उक्त अवधि में ग्राम पंचायत को प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण से सम्बन्धित जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त अवधि में अभिलेखानुसार दर्शायी गई प्राप्त आय सही थी अथवा नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी| अतः अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त अभिलेख को आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

## 14 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर
5. अग्रिमों का रजिस्टर
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर
7. प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर
9. स्टेशनरी रजिस्टर
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर
12. इन्वेंटरी रजिस्टर

## 15 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भंडार का नियमानुसार

प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

**16 लघु आपत्ति विवरणिका :-**

**i)** ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम,2002 के नियम 49(1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है। जब तक की ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त: हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**ii)** पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**17 निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)24/2018 खण्ड–1–4332–4335 दिनांक14.06.2018 शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत कांटी मशवा, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881